



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1357]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 26, 2015/ आषाढ़ 4, 1937

No. 1357]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 26, 2015/ASHADHA 4, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून, 2015

का.आ. 1724(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निर्देश देती है कि राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में सदृश प्रविष्टि में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्गों के उक्त सारणी के स्तंभ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट सदृश खंडों का उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथा-विनिर्दिष्ट खंडों का विकास तथा अनुरक्षण संबंधी कार्य करेगी।

सारणी

नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	खंड	लंबाई (किमी में)
(1)	(2)	(3)
9	पिथौरागढ़ – ओगला – असकोट खंड (उत्तराखंड राज्य में)	110 किमी

[फा. सं. एनएच-14013/16/2014-पी एंड एम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th June, 2015

S.O. 1724(E).—In exercise of powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby directs that the National Highways & Infrastructure Development Corporation Limited shall exercise the function relating to the development and maintenance of the stretch as specified in column (3) of the Table below, of the corresponding section as specified in the corresponding entry in column (2), of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table.

TABLE

New National Highway number	Section	Stretch in kilometers
(1)	(2)	(3)
9	Pithoragarh-Ogla-Askot section (In the State of Uttarakhand)	110 Kms

[F. No. NH-14013/16/2014-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून, 2015

का.आ. 1725(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कालम (3) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कालम (2) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 23 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

सारणी

"23	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 58 {रूद्रप्रयाग बाइपास सहित (किमी 218.000 से किमी 368.000)}, सं. 72ए, सं. 73, सं. 74 {किमी 175.000 से किमी 264.000 (काशीपुर – सितारगंज – बरेली खंड) तक खंड को छोड़कर}, सं. 87 {रामपुर से काठगोदाम खंड के किमी 43.30 (उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड सीमा) से किमी 88.00	उत्तराखंड राज्य सरकार।
-----	--	------------------------

	(काठगोदाम) तक खंड को छोड़कर}, सं. 87 विस्तार {सिमली से कर्ण प्रयाग (7.00 किमी) को छोड़कर} सं. 94 [किमी 123 से किमी 218 (धरासू से कुठनौर निकट यमनोत्री)], सं.109 (रूद्रप्रयाग-गौरीकुंड), सं. 119, सं. 121, सं. 123, सं. 125 {किमी 0.000 से किमी 52.200 (सितारगंज-टनकपुर खंड) तक खंड को छोड़कर}, नई रारा सं 107ए, नई रारा सं. 309ए, नई रारा सं. 309बी, नई रारा सं. 334ए और नई रारा सं. 707ए के उतने भाग जो उत्तराखंड राज्य में अवस्थित हैं।	
--	---	--

[फा.सं. एनएच-14013/16/2014-पी एंड एम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड एम)

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे अंतिम बार सं. का.आ. 1037 (अ), तारीख 17 अप्रैल, 2015 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th June, 2015

S.O. 1725(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 23 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

23	So much of National Highways No. 58 {(km 218.000 to km 368.000) including Rudraprayag bypass}, No. 72A, No. 73, No. 74 {excluding from Km.175.000 to Km.264.000 (Kashipur-Sitarganj-Bareilly Section)}, No. 87 {excluding Rampur to Kathkodam section from km. 43.30 (Uttar Pradesh/Uttarakhand Border) to km. 88.00 (Kathgodam)}, No. 87 Extn {excluding from Simli to Karna Prayag (7.00 kms)}, No. 94 [from Km. 123 to Km. 218 (Dharasu to Kuthnaur near Yamnotri)], No. 109 (Rudraprayag-Gaurikund), No. 119, No. 121, No. 123, No. 125 {excluding from km. 0.000 to km. 52.200 (Sitarganj-Tanakpur section)}, new NH No. 107A, new NH No. 309A, new NH No. 309B, new NH No. 334A and new NH No. 707A as are situated within the State of Utrakhand.	State Government of Utrakhand.”
----	--	---------------------------------

[F. No. NH-14013/16/2014-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&M)

Note: -The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 1037 (E), dated the 17th April, 2015.